प्रारूप-30.1

1.6

OFFICE OF THE DEPUTY COMMISSIONER DISTRICT ALMORA (U.K)

Proceeding of the meeting of the district level committee constituted under schedule tribes &other Traditional forest Dwellers (recognition of rights) act (FRA). 2006.

A meeting of the district level committee of Almora district, constituted under FRA, 2006 was held under the chairmanship of Mr. Vinod Kumar Almora in which application claiming rights of Bhagartola, Chamua, Kapkoli, Dingari 2.43 hec. for the Construction of bhagartola-Chamua-Kapkoli gunth area measuring Motor Road (km. 8) in Almora of forest land under FRA, 2006 of the following applicant duly processed and recommended by the sub division level committee of Bhanoli sub division were discussed to consider the same for admission by the district level committee.

After scrutiny of the documents and detailed discussions, no objection/claims were found to have been made & hence District level committee recommend the above case for diversion of land for the said purpose.

Deputy Commissioner-cum-Chairman

District Level Committee

Place; Almora

DATE:

बिला समाज कल्याण आधकारी

FORM-1

Government of Uttarakhand Office of the District Collector: Almora

No.....

Dated...03 03 205.....

TO WHOMSOEVER IT MAY CONCERN

In compliance of the Ministry of Environment and Forest (MOEF) Government of india's letter No:-11-9/98-EC(pt) dated 3rd August 2009 where in the MoEF issued guideline on submission of evidences for having initiated and completed the process of settlement of rights under the Scheduled tribes and Other Traditional forest Dwellers (Recognitation of forest Rights, Act 2006 (FRA, for short) on the forest land proposed to be diverted for non forest purposes read with MOEF.s letter dated 5th feb. 2013 wherein MOEF issued certain relaxation in respect of linear projects. It is certified that **2.43** hectares of forest land proposed to be diverted in favor of **Construction of bhagartola-Chamua-Kapkoli Motor Road (km. 8)** in Almora district falls within jurisdiction of Bhagartola, Chamua, Kapkoli, Dingari gunth Village (s) in Bhanoli tahsils.

It is further certified that:

- (b) The diversion of forest land for facilities managed by the Government as required under section 3 (2) of the FRA have been completed and the Gram Sabhas have given their consent to it.:-YES
- (c) The proposal does not involve recognized rights of primitive Tribal groups and Preagricultural at communities.:-YES

Encl: As above

03:03:05

Vinod kumar Suman District Collector, Almora

हिल्ला समाज कल्याण आधका से हाल्गोडा

FORM-II

Government of Uttarakhand Office of the District Collector: Almora

Dated . 03 03 2015

No.....

TO WHOMSOEVER IT MAY CONCERN

In compliance of the Ministry of Environment and Forest (MOEF), Government of india's letter No:-11-9/98-EC(pt) dated 3rd August 2009 where in the MoEF issued guideline on submission of evidences for having initiated and completed the process of settlement of rights under the Scheduled tribes and Other Traditional forest Dwellers (Recognitation of forest Rights, Act 2006 (FRA, for short) on the forest land proposed to be diverted for non forest purposes, It is certified that 2.43 hectares of forest land proposed to be diverted in favor of Construction of bhagartola-Chamua-Kapkoli Motor Road (km. 8) in Almora district falls within jurisdiction of Bhagartola, Chamua, Kapkoli, Dingari gunth Village (s) in Bhanoli tahsils.

It is further certified that:

- (a) The complete process for identification and settlement of rights under the FRA has been carried out of the entire 2.43 hectares of forest area proposed for diversion A copy of records of all consultation and meetings of the forest Rights Committee (s) Gram Sabha(s) Sub- Division Level committee (s) and District level committee are enclosed as annexure
- (b) The proposal for such diversion (with full details of the project and its implications, in
- vernacular/local language) have been placed before each concerned Gram Sabha of forestdwellers, who are eligible under the FRA. : YES
- (c) The each of concerned Gram Sabha (s), has certified that all formalities/processes under the FRA have been carried out. And that they have given t heir consent to the proposed diversion and the compensation and ameliorative measures, if any, having understood the purpose and details of proposed diversion. A copy of certificate issued by the gram sabha of Bhagartola, Chamua, Kapkoli, Dingari gunth villages (s) is enclosed as annexure 3.

(d) The discussion and decisions on such proposals had taken pace only when there was s

quorum of minimum 50% of the members of gram Sabha present: YES (e) The diversion of forest land for facilities managed by the Government as required under section 3 (2) of the FRA have been completed and the Gram Sabhas have given their

- (f) The rights of primitive tribal groups and pre-agricultural Communities, where applicable have been specifically safeguarded as per section 3 (1) (e) of the FRA: NA

Encl: As above

03:03:15

Vinod kumar suman District Collector, Almora

रेखना समाज कल्याण अधिकार्थी बाल्योहा

प्रपत्र–30.2

परियोजना विवरण :- जनपद अल्मोड़ा के अंतर्गत विधानसभा क्षेत्र जागेश्वर के अंतर्गत भगरतोला–चमुवा–कपकोली मोटर मार्ग का नव निर्माण कार्य। (लम्बाई 8.00 किमी0)

कार्यालय उप जिलाधिकारी, भनोली

अनुसूचित जनजाति और परम्परागत वनवासी अधिनियम 2006 के तहत प्रमाण–पत्र उपखण्ड स्तरीय समिति, भनोली

उपखण्ड भनोली परिक्षेत्र के जनपद अल्मोड़ा के अंतर्गत विधानसभा क्षेत्र जागेश्वर के अंतर्गत भगरतोला—चमुवा—कपकोली मोटर मार्ग (लम्बाई 8.00 किमी०) के निर्माण हेतु 2.295 है0 सिविल सोयम भूमि 0.135 है0 वन पंचायत भूमि कुल 2.43 है0 वन भूमि, का निर्माण खण्ड, लोक निर्माण विभाग, अल्मोड़ा के पक्ष में हस्तान्तरित किये जाने हेतु अनूसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वनवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत उपखण्ड स्तरीय समिति, (तहसील भनोली) की दिनांक १५) १२)

अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 एवं नियम 2008 के अन्तर्गत उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति की बैठक श्री **अनिल कुमार चन्याल**, उप जिलाधिकारी एवं अध्यक्ष उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति की अध्यक्षता में आयोजित की गयी। बैठक में माननीय सदस्यों की उपस्थिति निम्नानुसार है।

1- श्री अनिल कुमार चन्याल, उपजिलाधिकारी, भनोली, अध्यक्ष

2- श्री अमरेश कुमार, उप प्रभागीय वनाधिकारी, सिविल सोयम, वन प्रभाग, अल्मोड़ा, सदस्य 3- श्री फ़िक्रान सिंह जडीत सहायक समाज कल्याण अधिकारी, , सदस्य / सचिव 4- श्री टिरोट्टा प्रसाद बी०डी०सी० क्षेत्र डसीली सदस्य अग्रतीला

उपखण्ड सचिव द्वारा माननीय सदस्यों का बैठक में स्वागत करते हुए उप जिलाधिकारी की अनुमति से बैठक की कार्यवाही प्रारम्भ की गई। माननीय सदस्यों को अवगत कराया गया कि जनपद अल्मोड़ा में जनपद अल्मोड़ा के अंतर्गत विधानसभा क्षेत्र जागेश्वर के अंतर्गत भगरतोला—चमुवा—कपकोली मोटर मार्ग (लम्बाई 8.00 किमी0) प्रयोक्ता एजेन्सी के पक्ष में हस्तान्तरित किथे जाने हेतु प्रस्ताव माननीय सदस्यों के समक्ष रखा गया। ग्राम सभा के अन्तर्गत वनाधिकार का कोई मामला लम्बित नहीं है। उक्त भूमि का संबंधित ग्राम सभा द्वारा सर्वसम्मति से पारित प्रस्ताव के आधार पर सार्वजनिक उपयोग हेतु प्रत्यावर्तन की अनुशंसा की गई है।

1.6

संबंधित उप प्रभागीय वनाधिकारी, सिविल सोयम, वन प्रभाग, अल्मोड़ा, द्वांरा अनुस्चित जनजाति एवं अम्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 एवं तत्सम्बंध नियम 2008 के प्राविधान को स्पष्ट करते हुए जानकारी से माननीय सदस्यों को अवगत कराया कि वन अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत किसी भी दावेदार का दावा/आवेदन पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया है। इस संबंध में ग्राम सभा/पंचायत द्वारा अनापत्ति जारी की जा चुकी है। अतः प्रकरण में उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति द्वारा अनापत्ति जारी की जा सकती है।

बैठक में सर्वसम्मति से उपखण्ड भनोली परिक्षेत्र के अन्तर्गत जनपद अल्मोड़ा के अंतर्गत विधानसभा क्षेत्र जागेश्वर के अंतर्गत भगरतोला—चमुवा—कपकोली मोटर मार्ग (लम्बाई 8.00 किमी0 के निर्माण हेतु 2.295 है0 सिविल सोयम भूमि 0.135 है0 वन पंचायत भूमि कुल 2.43 है0 वन भूमि,निर्माण ख0 लो0नि0वि0, अल्मोड़ा प्रयोक्ता एजेन्सी को जनहित में सक्षम प्राधिकारी से अनुमति

्प्राप्त कर प्रत्यावर्तित किये जाने पर सहमति व्यक्त की गयी।

IN THE REAL

उप जिलाधिकारी/अध्यक्ष उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति तहसील-भनोली जनपद अल्मोड़ा

प्रतिलिपि : जिलाधिकारी, अल्मोड़ा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

उप जिलाधिकारी/अध्यक्ष उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति तहसील-भनोली, जनपद अल्मोड़ा परियोजना विवरण :— जनपद अल्मोड़ा के अन्तर्गत विधानसभा क्षेत्र जागेश्वर में भगरतोला—चमुवा—कपकोली मोटर मार्ग के नव निर्माण का कार्य।

> वन अधिकार अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत अनापत्ति प्रमाण–पत्र ग्राम पंचायत का नाम

> > तहसील-भनोली, जिला-अल्मोड़ा

अनापत्ति प्रमाण पत्र

उत्तराखण्ड में जनपद अल्मोड़ा के अन्तर्गत विधानसभा क्षेत्र जागेश्वर में भगरतोला-चमुवा-कपकोली मोटर मार्ग के नव निर्माण का कार्य। (ल0 8.00 किमी0) के निर्माण हेत् 2. 4.3 हैं, सिविल सोयम भूमि का लोक निर्माण विभाग विभाग / संस्था के पक्ष में भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा प्रत्यावर्टित करने हेत आवेदन प्रस्तुत किया गया। उक्त प्रकरण के विषय में ग्राम पंचायत अगरतीला द्वारा दिनांक को सम्पन्न ग्राम सभा / ग्राम पंचायत की बैठक में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा आवेदित वन भूमि के संबंध में अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत करने हेतु विस्तृत चर्चा की गई। यह ाके तन अधिकार अधिनियम, 2006 के प्राविधानों के तहत् आवेदित वन भूमि में आदिवासी अथटा किसो गैर आदिवासी का कब्जा / कृषि कार्य हं अथवा नहीं। उपस्थित सभी ग्रामवासियों द्वारा रपष्ट किया गया कि उक्त दन भूमि में किसी भी आदिवासी अथवा गैर आदिवासी का कब्जा / कृषि व र्य नहीं किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त परियोजना के निर्माण हेतु आवेदित वन भूमि पर ग्रामव सेयों के परम्परागत अधिकारों का हनन नहीं हो रहा है। वर्चा के उपरान्त ग्राम सभा द्वारा सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया / प्रस्ताव पारित किया गया कि ग्राम अगर तोला के ग्रामवासियों को उक्त वन भूमि निर्माण खण्ड, लो०नि०वि०, अल्मोड़ा (प्रयोक्ता एजेन्सी) को परियोजना के निर्माण हेतु दिये जाने पर कोई आपत्ति नहीं 13

प्रमाणित किया जो सत्य एवं सही है।

ग्राम सचिव

बिकास साम्य - गोगायेके COUS_SIGNING

- Shis

बास पंचायत भगरतोल। विकास अन्द्र - घोलादेवी - जुम्म प्रधान

1.6

प्रपत्र--30.4

को ग्राम सभा की सम्पन्न बैठक की उपस्थिति

दिनांक

ग्राम पंचायत

कमांक	ग्राम सभा में उपस्थित वरिष्ठ ग्रामवासियों के नाम	हस्ताक्षर
d.	हरोग्रा चड पाँछ	2/21-21-210)
12.	टीका राम पार्ठे	(जगदीमा चन्य
3.	जगरीबा चड	
4.	(ज्ञादीया राम	(+ siçizizist
* 5.	रेनाघट पाठो	2 areis Giosi
6-	ER21-ding Die	c. 20-00
7	2011-11-2912-	2010 relax
8.	2,211 14 2107 8-15 6111-19	A. G. 4113329
9.	0521997 30 95/9N	Ji2 Ca
10 -	544N 30 200-114N	29.515 -1
11-	2 01 7 14 80 - UN NOI	ang_
12 -	जोपाल सिंह	STIGIM TETS
b		

ाम पचा 47 CE 10 F विकास खण्ड - वीलादेवी

4-17 Shis প্রধান্ধ

ाव ग्राम प्रधान

जिमास अण्ड - धोलादेवी जिला सन्माहा

द्वपर-बन्धोंग

प्रपत्र-30.4

.

दिनांक

को ग्राम सभा की सम्पन्न बैठक की उपस्थिति

S

ग्राम पंचायत

		ग्राम समा में उपस्थित वरिष्ठ ग्रामवासियों के नाम	हस्ताक्षर
	इ मांक	रभेश च-5 जोशी इंग्रस्वासी जरुना इस जोशी	(I.g1
-			
•			
•			
*	1		
			4-50 Sh
		~ 2	-15-18-1 -
			१६२८ वं ग्राम प्रधान तेला विकास जण्ड - योनालमी
Ê.			earth manager
		बिकाल मण्ड – धौराहेबी बाबप्स-मण्डोका	
,			